

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **Agriculture** w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026: -

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	204	188	186
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	223	204	189
Skilled/Clerical	242	223	204
Highly Skilled	267	248	223

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2026 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

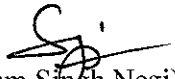
Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	$333 + 204 = 537$	$303 + 188 = 491$	$300 + 186 = 486$
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	$364 + 223 = 587$	$335 + 204 = 539$	$307 + 189 = 496$
Skilled/Clerical	$395 + 242 = 637$	$364 + 223 = 587$	$334 + 204 = 538$
Highly Skilled	$438 + 267 = 705$	$407 + 248 = 655$	$364 + 223 = 587$

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.



The classification of workers under different categories will be same as in Part I of the Notification No. S.O. 186(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).


(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in employments in **Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Tale), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines.**

Category of worker	Rates of V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	215	267
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	267	317
Skilled/ Clerical	317	369
Highly Skilled	369	412

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance Payable w.e.f. 01.10.2026 will be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	350 + 215 = 565	437 + 267 = 704
Semi-Skilled/ Unskilled Supervisory	437 + 267 = 704	523 + 317 = 840
Skilled/ Clerical	523 + 317 = 840	610 + 369 = 979
Highly Skilled	610 + 369 = 979	683 + 412 = 1095

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.



The classification of workers under different categories will be same as in Notification No. S.O. 187(E) dated 19.01.2017 and subsequent amendment notification No. S.O. 2413(E) dated 28th July, 2017 of the Ministry of Labour and Employment; whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).


(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **Construction Or Maintenance Of Roads Or Runways Or In Building Operations Including Laying Down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph And Overseas Communication Cables And Similar Other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines And Sewerage Pipe Lines.**

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	317	267	215
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	354	300	251
Skilled/Clerical	387	354	300
Highly Skilled	418	387	354

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2026 will be as under :-

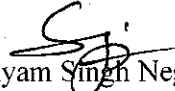
Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	$523 + 317 = 840$	$437 + 267 = 704$	$350 + 215 = 565$
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	$579 + 354 = 933$	$494 + 300 = 794$	$410 + 251 = 661$
Skilled/ Clerical	$637 + 387 = 1024$	$579 + 354 = 933$	$494 + 300 = 794$
Highly Skilled	$693 + 418 = 1111$	$637 + 387 = 1024$	$579 + 354 = 933$

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.



The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the Notification No. S.O. 188(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).


(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in “STONE MINES” shall be as under:-

Item of work	Rates of Variable Dearness Allowance as on 01.10.2026
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	
(i) Soft Soil	218
(ii) Soft Soil with rock	323
(iii) Rock	428
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5 Metres lift. *	174
3. Stone breaking or Stone Crushing for the Stone size of:-	
1.0 inch to 1.5 inches	1297
Above 1.5 inches to 3.0 inches	1109
Above 3.0 inches to 5.0 inches	654
Above 5.0 inches	539



Therefore, the minimum piece rate wages showing the basic and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2026 to the employees employed in Stone Mines shall be as under:-

Category	Basic wages		VDA		Total
1. Excavation & removal of overburden with 50 meters Lead/1.5 Meters lift. *					
(i) Soft Soil	351	+	218	=	569
(ii) Soft Soil with rock	531	+	323	=	854
(iii) Rock	703	+	428	=	1131
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	283	+	174	=	457
3. Stone Breaking or Stone Crushing for stone size of category **					
	Basic Wages		VDA		Total
(i) 1.0 inch to 1.5 inches	2171	+	1297	=	3468
(ii) Above 1.5 inches to 3.0 inches	1857	+	1109	=	2966
(iii) Above 3.0 inches to 5.0 inches	1088	+	654	=	1742
(iv) Above 5.0 inches	893	+	539	=	1432

The workers employed on minimum guaranteed time rate of wages per day shall be entitled to time rate of minimum wages plus special allowance, if any, for unskilled category of above ground workers revised from time to time by the Central Government in respect of scheduled employment in stone mines.

* Per 2.831 cube meters (100 cubic feet)

** Per truck load of 5.662 cubic meters (200 cubic feet)

The detailed classification and explanation are as per Notification No. S.O. 189(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment .

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).


 (Shyam Singh Negi)
 Director General
 Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in “**Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993**”.

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	317
B	267
C	215

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2026 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)		Total (Rs.)
A	523	+	317	=	840
B	437	+	267	=	704
C	350	+	215	=	565

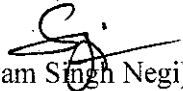
The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the Notification No. S.O. 190(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification



dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).


(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

I. The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **WATCH & WARD (without arms)** shall be as under:-

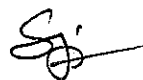
AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	387
B	354
C	300

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2026 to employees employed in WATCH AND WARD (without arms) shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)		Total (Rs.)
A	637	+	387	=	1024
B	579	+	354	=	933
C	494	+	300	=	794

II. The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF VDA PER DAY (in Rs.)
A	418
B	387
C	354



Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2026 to employees employed in WATCH AND WARD (with arms) shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS VDA PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		VDA. (Rs.)		Total (Rs.)
A	693	+	418	=	1111
B	637	+	387	=	1024
C	579	+	354	=	933

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the Notification No. S.O. 191(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).


(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

File No. 6/1/2026-VDA
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Labour Bureau
Chandigarh

Dated: 30 September, 2026

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2451(E) dated 12th May, 2026 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revises the rates of Variable Dearness Allowance w.e.f. 01.10.2026 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial Workers reaching 431.42 from 424.80 as on 30.06.2026 (linked to Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 6.62 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2026

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in loading and unloading in (i) Goods sheds, Parcel Offices of Railways, (ii) Other Goods-Sheds, Godowns, Warehouses and other similar employments ; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers and Goods and Cargo Carried out at Airports (both international and domestic).

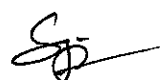
AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (IN RS.)
'A'	317
'B'	267
'C'	215

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2026 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A. PER DAY				
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)		Total (Rs.)
'A'	523	+	317	=	840
'B'	437	+	267	=	704
'C'	350	+	215	=	565

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the Notification No. S.O. 192(E) dated 19th January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification



dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

The instant notification is being issued in pursuance of sub-section (2) of Section 69 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).


(Shyam Singh Negi)
Director General
Labour Bureau

ANNEXURE

CLASSIFICATION OF AREAS

AREA – “A”					
Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corpn)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corpn)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		
AREA – “B”					
Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corpn)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corpn)	Jaipur	(M.Corpn)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corpn)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corpn)
Bhopal	(UA)	Kannur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneswar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corpn)	Kolhapur	(UA)	Thiruvananthapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corpn)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corpn)	Ujjain	(M.Corpn)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corpn)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corpn)
Firozabad		Moradabad	(M. Corpn)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corpn)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corpn)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area ‘C’ shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो
चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्वारा दिनांक 01.10.2026 से कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	दैनिक क्षेत्रवार वी. डी. ए. की दरें (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	204	188	186
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	223	204	189
कुशल/ लिपिकीय	242	223	204
अति कुशल	267	248	223

अतः कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर सहित भत्ते की न्यूनतम दर और परिवर्ती महंगाई भत्ता इस प्रकार होंगे:-

कामगारों की श्रेणी	वी.डी.ए.सहित मजदूरी की दरें क्षेत्रवार प्रतिदिन (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	333 + 204 = 537	303 + 188 = 491	300 + 186 = 486
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	364 + 223 = 587	335 + 204 = 539	307 + 189 = 496
कुशल/ लिपिकीय	395 + 242 = 637	364 + 223 = 587	334 + 204 = 538
अति कुशल	438 + 267 = 705	407 + 248 = 655	364 + 223 = 587

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 186(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।


(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो
चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

जिप्सम खान, बैराइट खान, बॉक्साइट खान, मैंगनीज खान, चाइना क्ले खान, कायनाइट खान, तांबा खान, क्ले खान, मैग्नेसाइट खान, सफेद मिट्टी खान, पत्थर खान, स्टीटाइट खान (सोप स्टोन और टैल्क का उत्पादन करने वाली खानों सहित), गेरु खान, एस्बेस्टस खान, आग मिट्टी की खान, क्रोमाइट खान, क्वार्टजाइट खान, क्वार्ट्ज खान, सिलिका खान, ग्रेफाइट खान, फेलस्पार खान, लैटेराइट खान, डोलोमाइट खान, रेड ऑक्साइड खान, वोल्फराम खान, लौह अयस्क खान, ग्रेनाइट खान, रॉक फॉस्फेट खान, हेमेटाइट खान, संगमरमर और कैल्साइट खान, यूरेनियम खान, अभ्रक खान, लिग्नाइट खान, बजरी ब्लूज, स्लेट खान और मैग्नेटाइट खान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें:

कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)	
	भूमि से ऊपर कार्य के लिए	भूमि से नीचे कार्य के लिए
अकुशल	215	267
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	267	317
कुशल/ लिपिकीय	317	369
अति कुशल	369	412

अतः दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-



कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए.सहित मजदूरी की दरें (रुपयों में)	
	भूमि से ऊपर कार्य के लिए	भूमि से नीचे कार्य के लिए
अकुशल	$350 + 215 = 565$	$437 + 267 = 704$
अर्ध-कुशल/ अकुशल पर्यवेक्षी	$437 + 267 = 704$	$523 + 317 = 840$
कुशल/लिपिकीय	$523 + 317 = 840$	$610 + 369 = 979$
अति कुशल	$610 + 369 = 979$	$683 + 412 = 1095$

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 187(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 तथा उत्तरवर्ती संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2413(अ) दिनांक 28 जुलाई, 2017 में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।


(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो
चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव या भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विदेशी संचार केबल और इसी तरह के अन्य भूमिगत केबलिंग कार्य, बिजली लाइनों, जल आपूर्ति लाइनों और सीवरेज पाइप लाइनों सहित भवन निर्माण कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें।

कामगारों की श्रेणी	क्षेत्रवार प्रतिदिन वी.डी.ए की दरें (रुपये में)		
	'क'	'ख'	'ग'
अकुशल	317	267	215
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	354	300	251
कुशल/ लिपिकीय	387	354	300
अति कुशल	418	387	354

अतः, दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

कामगारों की श्रेणी	प्रतिदिन वी.डी.ए सहित मजदूरी की दरें (रुपये में)		
	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
अकुशल	523 + 317 = 840	437 + 267 = 704	350 + 215 = 565
अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	579 + 354 = 933	494 + 300 = 794	410 + 251 = 661
कुशल/ लिपिकीय	637 + 387 = 1024	579 + 354 = 933	494 + 300 = 794
अति कुशल	693 + 418 = 1111	637 + 387 = 1024	579 + 354 = 933

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाता है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 188 (ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।



(श्याम सिंह नेगी)

महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो
चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

“पत्थर खानों” में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वी.डी.ए. की दरें निम्नानुसार हैं:-

कार्य विवरण

दिनांक 01.10.2026 से
परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें

- | | |
|--|----------|
| 1. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ
अतिरिक्त भार की खुदाई व निष्कासन* | |
| (i) नर्म मिट्टी | रु. 218 |
| (ii) चट्टान सहित नर्म मिट्टी | रु. 323 |
| (iii) चट्टान | रु. 428 |
| 2. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ
अस्वीकृत पत्थरों का निष्कासन व ढेर लगाना | रु. 174 |
| 3. निम्नलिखित आकार के पत्थर हेतु
पत्थर तोड़ना या पत्थर पेरार्ड:- | |
| 1.0 इंच से 1.5 इंच तक | रु. 1297 |
| 1.5 इंच के ऊपर से 3.0 इंच तक | रु. 1109 |
| 3.0 इंच के ऊपर से 5.0 इंच तक | रु. 654 |
| 5.0 इंच के ऊपर | रु. 539 |

अतः दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें पत्थर खानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

श्रेणी	मूल मजदूरी	वीडीए	कुल
1. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ			
अतिरिक्त भार की खुदाई व निष्कासन			
(i) नर्म मिट्टी	रु. 351	+ रु. 218	= रु. 569
(ii) चट्टान सहित नर्म मिट्टी	रु. 531	+ रु. 323	= रु. 854
(iii) चट्टान	रु. 703	+ रु. 428	= रु. 1131
2. 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट के साथ	रु. 283	+ रु. 174	= रु. 457
अस्वीकृत पत्थरों का निष्कासन व ढेर लगाना			
3. निम्नलिखित आकार के पत्थर हेतु	मूल मजदूरी	वीडीए	कुल
पत्थर तोड़ना या पत्थर पेरार्इ:-			
(i) 1.0 इंच से 1.5 इंच तक	रु. 2171	+ रु. 1297	= रु. 3468
(ii) 1.5 इंच के ऊपर से 3.0 इंच तक	रु. 1857	+ रु. 1109	= रु. 2966
(iii) 3.0 इंच के ऊपर से 5.0 इंच तक	रु. 1088	+ रु. 654	= रु. 1742
(iv) 5.0 इंच के ऊपर	रु. 893	+ रु. 539	= रु. 1432

दैनिक मजदूरी की न्यूनतम गारंटीकृत समय दर पर कार्यरत कामगार पत्थर खानों में अनुसूचित नियोजन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सतह के ऊपर काम करने वाले कामगारों के अकुशल वर्ग हेतु विशिष्ट भत्ते, यदि कोई है तो, के साथ न्यूनतम मजदूरी के समय दर के हकदार होंगे।

* प्रति 2.831 घन मीटर (100 घन फीट)

** 5.662 घन मीटर प्रति ट्रक भार (200 घन फीट)

विस्तृत वर्गीकरण और स्पष्टीकरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 189(ई) दिनांक 19 जनवरी, 2017 के अनुसार हैं।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।


(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो
चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मकारों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निषेध क्रियाकलापों के अलावा झाड़ू लगाने और सफाई करने के नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों हेतु वी.डी.ए. की दरें

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	317
ख	267
ग	215

दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए.			
	मूल मजदूरी (रुपयों में)		वी.डी.ए. (रुपयों में)	कुल (रुपयों में)
क	523	+	317	= 840
ख	437	+	267	= 704
ग	350	+	215	= 565

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 190(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी,



2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।



(श्याम सिंह नेगी)

महानिदेशक

श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो
चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मचारियों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

- I. वीडिए की दरें, वॉच एण्ड वार्ड (बिना हथियार के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	387
ख	354
ग	300

अतः दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें वॉच एण्ड वार्ड (बिना हथियार के) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर+ वी.डी.ए. मूल मजदूरी वी.डी.ए.(रुपयों में).	कुल (रुपयों में)
क	637 + 387	= 1024
ख	579 + 354	= 933
ग	494 + 300	= 794

- II. वीडिए की दरें, वॉच एण्ड वार्ड (हथियार के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक वी.डी.ए. की दरें (रुपयों में)
क	418
ख	387
ग	354

अतः दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें वॉच एण्ड वार्ड (हथियार के साथ) में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	दैनिक आधार पर मजदूरी दर + वी.डी.ए.			
	मूल मजदूरी		वी.डी.ए.(रुपयों में).	कुल(रुपयों में)
क	693	+	418	= 1111
ख	637	+	387	= 1024
ग	579	+	354	= 933

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मचारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 191(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।


(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

फाइल संख्या: 6/1/2026-VDA

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो
चंडीगढ़

दिनांक: 30 सितम्बर, 2026

आदेश

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 12 मई, 2026 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2451(ई) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिनांक 30.06.2026 (सम्बद्ध आधार वर्ष 2016=100) को 424.80 से 431.42 पर पहुँचने और इसके परिणामस्वरूप इसमें 6.62 अंकों की बढ़त होने के आधार पर एतद्वारा दिनांक 01.10.2026 से औद्योगिक कर्मचारियों के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरों में परिशोधन किया जाता है। दिनांक 01.10.2026 से परिशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते की दरें इस प्रकार होंगी।

(i) गुड्स शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय, (ii) अन्य गुड्स-शेड, गो-डाउन, गोदाम और अन्य समान रोजगार में लोडिंग और अनलोडिंग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए. की दरें; (iii) डॉक एवं पोर्ट्स और (iv) हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) पर यात्रियों और माल और कार्गो की दुलाई में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए. की दरें।

क्षेत्र	प्रतिदिन वी.डी.ए की दरें (रुपयों में)
'क'	317
'ख'	267
'ग'	215

अतः, दिनांक 01.10.2026 से देय मूल दर और परिवर्ती महंगाई भत्ते को दर्शाती न्यूनतम मजदूरी की दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्षेत्र	मूल मजदूरी (रुपये)	प्रतिदिन वी.डी.ए सहित मजदूरी की दरें	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (रुपये)	कुल (रुपये)
'क'	523	+	317	= 840
'ख'	437	+	267	= 704
'ग'	350	+	215	= 565

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय अनुसार वी.डी.ए. को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

विभिन्न वर्गों के तहत कर्मकारों का वर्गीकरण अधिसूचना संख्या एस. ओ. 192(ई) दिनांकित 19 जनवरी, 2017 के भाग-I में दिए अनुसार होगा, तथापि शहरों का वर्गीकरण दिनांक 19 जनवरी, 2017 को अधिसूचना के भाग-II में दिए अनुसार होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्र क, ख तथा ग के रूप में सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्नक-1 संलग्न है।

यह तत्काल अधिसूचना मजदूरी संहिता, 2019 (29 ऑफ 2019) की धारा 69 की उपधारा (2) के अनुसरण में जारी की जा रही है।


(श्याम सिंह नेगी)
महानिदेशक
श्रम ब्यूरो

उपाबंध

क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्षेत्र - "अ"

अहमदाबाद	(यूए)	हैदराबाद	(यूए)	फरीदाबाद काम्पलेक्स	(नगर निगम)
बंगलुरु	(यूए)	कानपुर	(यूए)	गाज़ियाबाद	(यूए)
दिल्ली	(यूए)	चेन्नई	(यूए)	नोएडा	
बृहत्त मुंबई	(यूए)	नागपुर	(यूए)	सिकंदराबाद	
कोलकाता	(यूए)	लखनऊ	(यूए)	गुडगाँव	(नगर निगम)
नवी मुंबई	(यूए)	पुणे	(यूए)		

क्षेत्र - "आ"

आगरा	(यूए)	ग्वालियर 1 (यूए)		पोर्ट ब्लेयर	(यूए)
अजमेर	(यूए)	हुबली-धारवाड़	(नगर निगम)	पुडुचेरी	(यूए)
अलीगढ़	(यूए)	इंदौर	(यूए)	रायपुर	(यूए)
इलाहाबाद	(यूए)	जबलपुर	(यूए)	राउरकेला	(यूए)
अमरावती	(नगर निगम)	जयपुर	(नगर निगम)	राजकोट	(यूए)
अमृतसर	(यूए)	जालंधर	(यूए)	रांची	(यूए)
आसनसोल	(यूए)	जालंधर-छावनी	(यूए)	सहारनपुर	(नगर निगम)
औरंगाबाद	(यूए)	जम्मू	(यूए)	सेलम	(यूए)
बरेली	(यूए)	जामनगर	(यूए)	सांगली	(यूए)
बेलगाँव	(यूए)	जमशेदपुर	(यूए)	शिलांग	
भावनगर	(यूए)	झांसी	(यूए)	सिलीगुड़ी	(यूए)
भिवंडी	(यूए)	जोधपुर	(यूए)	सोलापुर	(नगर निगम)
भोपाल	(यूए)	कन्नूर	(यूए)	श्रीनगर	(यूए)
भुवनेश्वर	(यूए)	कोच्चि	(यूए)	सूरत	(यूए)
बीकानेर	(नगर निगम)	कोल्हापुर	(यूए)	तिरुवंतपुरम्	(यूए)
बोकारो स्टील सिटी	(यूए)	कोल्लम	(यूए)	त्रिशूर	(यूए)
चंडीगढ़	(यूए)	कोटा	(नगर निगम)	तिरुचिरापल्ली	(यूए)
कोयम्बटूर	(यूए)	कोझिकोड	(यूए)	तिरुपुर	(यूए)
कटक	(यूए)	लुधियाना	(नगर निगम)	उज्जैन	(नगर निगम)
देहरादून	(यूए)	मदुरै	(यूए)	वडोदरा	(यूए)
धनबाद	(यूए)	मलप्पुरम	(यूए)	वाराणसी	(यूए)
दुर्गापुर	(यूए)	मालेगाँव	(यूए)	वसई- विरार शहर	(नगर निगम)
दुर्ग-भिलाई नगर	(यूए)	मंगलौर	(यूए)	विजयवाड़ा	(यूए)
इरोड	(यूए)	मेरठ	(यूए)	विशाखापत्तनम	(नगर निगम)
फिरोजाबाद		मुरादाबाद	(नगर निगम)	वारंगल	(यूए)
गोवा		मैसूर	(यूए)		
गोरखपुर	(यूए)	नांदेड वाघाला	(नगर निगम)		
बृहत्त विशाखापत्तनम	(नगर निगम)	नासिक	(यूए)		
गुलबर्गा	(यूए)	नेल्लोर	(यूए)		
गुंटूर	(यूए)	पंचकुला	(यूए)		
गुवाहाटी	(यूए)	पटना	(यूए)		

टिप्पण 1 : क्षेत्र "इ" ऐसे सभी क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, जो इस सूची में वर्णित नहीं हैं किंतु जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) लागू होता है।

टिप्पण 2 : यूए से शहरी समूह अभिप्रेत है।